रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/पीएण्डए/ भर्ती/ सीएएनएसआरयू अनुबंध/ अधिसूचना-12/ परि.स.(कार्यालय)/ 2026/1 दिनांक 07 अगस्त 2026

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न अनुसूची 'ए' कंपनी, सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट(सीएएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह केलिए **नियत अवधि में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु परियोजना सहायक (कार्यालय)** के निम्नलिखित पदों को भरने केलिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले **अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के निवासी** भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है ।

I. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव: -

तालिका 1

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
परियोजना सहायक (कार्यालय) – 1 सं. (01 अनारक्षित)	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ कला (ललित कला/प्रदर्शन कला के अलावा) या वाणिज्य या विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग या व्यवसाय प्रशासन में 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण। **वांछनीय:** ऑटोकैड, एसएपी, एमएस प्रोजेक्ट, एमएस ऑफिस आदि जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोगों में दक्षता।	निम्न में, योग्यता के बाद न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो । • शिपयार्ड या • इंजीनियरिंग कंपनी या • वाणिज्यिक संगठन या • सरकारी / अर्ध सरकारी कंपनी / संस्थान।

II. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 07 अगस्त 2026

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 31अगस्त 2026

III. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:

तालिका 2

अना.	कुल
1	**1**

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों केलिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

ग) यह पद केवल **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के निवासी** उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा।

IV. अनुबंध की अवधि

क) उपरोक्त पद अस्थायी प्रकृति के हैं और परियोजना की आवश्यकताओं एवं व्यक्तिगत प्रदर्शन के अधीन अधिकतम **पांच साल** की अवधि केलिए हैं ।

ख) तैनाती सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), श्री विजयापुरम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या पोत पर या भारत के किसी भी भाग या विदेश में संचालित किसी भी इकाई/कार्य स्थल/परियोजना में सेवा करने का दायित्व जुड़ा हुआ है।

V. पारिश्रमिक

क) न्यूनतम अनुभव आवश्यकता (यानी 2 वर्ष) को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए समेकित वेतन ₹ 24,400/- प्रति माह है। वे सीएसएल की नीति/दिशानिर्देशों के आधार पर सामान्य कार्य घंटों से अधिक किए गए अतिरिक्त घंटों के काम के लिए मुआवजे के भी पात्र होंगे।

ख) सीएसएल या अन्य समान शिपयार्ड में न्यूनतम आवश्यक अनुभव से अधिक पूर्ण वर्ष का ऑन-रोल अनुभव रखनेवाले उम्मीदवारों को उच्च वेतन की पेशकश की जा सकती है।

VI. आयु:

क) निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 31 अगस्त 2026 को 45 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 01 सितंबर 1981 को या उसके बाद होना चाहिए ।

ख) अ.पि.व.(गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर उच्चतम आयु सीमा में **3** वर्ष की छूट दी जाएगी।

ग) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों केलिए आयु सीमा में छूट होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट लागू लगाने के बाद आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न हो।

VII. चयन की विधि

क) पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा (**वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा**) के माध्यम से होगी, जो 100 अंकों की होगी और तदनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।

वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 90 **मिनट की अवधि** की होगी जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में 80 **बहुविकल्पीय प्रश्न** शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा **45 मिनट की अवधि** की होगी। वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा का विवरण इस प्रकार है: -

i. वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा		
सामान्य ज्ञान	-	05 अंक
तर्क	-	05 अंक
मात्रात्मक योग्यता	-	10 अंक
सामान्य अंग्रेजी	-	10 अंक
विषय से संबंधित	-	50 अंक
ii. विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा		
लेखन कौशल (अंग्रेज़ी भाषा)		20 अंक
कुल	-	**100 अंक**

ख) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुलग्नक I** में है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

ग) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, परीक्षाएं अंडमान और निकोबार के श्री विजयापुरम में आयोजित की जाएंगी, जैसा कि सीएसएल एएन पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), श्री विजयापुरम द्वारा तय किया जाएगा। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के पूर्ण विवेक पर होगा।

घ) आरक्षण नियमों/नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, सीएसएल सभी उम्मीदवारों के लिए, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने का अधिकार रखता है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की विवरणात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

ङ) चयन परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। चयन पात्रता आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आयु, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के रूप में मूल प्रमाणपत्र और आरक्षण श्रेणियों (अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा/ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी) के लिए प्रमाणपत्रों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

च) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल की ओर से सीएएनएसआरयू विभिन्न पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित की गई पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

छ) पदों के लिए रैंक सूची वस्तुनिष्ठ प्रकार और विवरणात्मक प्रकार की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी।

ज) केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाण-पत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, उन्हें चिकित्सा स्वस्थता के अधीन, योग्यता/आरक्षण के क्रम में अधिसूचित पदों के सामने चयन के लिए अस्थायी रूप से विचार किया जाएगा।

VIII. <u>शर्तें</u>

क) <u>आरक्षण</u>

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे ।

(ii) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी भी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी *<u>वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र</u>* निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा, जिसे चूकने पर उनकी उम्मीदवारी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण की ओर नहीं माना जाएगा: -

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/ उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुक मजिस्ट्रेट/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसिडेसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- उप- विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतया रहता हो।

(iii) यदि आवेदक अ.पि.व (गैर क्रीमी लेयर) का है तो उसे राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में एक *वैध अद्यतन समुदाय प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए जो तहसीलदार के पद से कम न हो, ऐसा न करने पर आरक्षित पदों और श्रेणियों केलिए लागू रियायतों या छूटों केलिए विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40%होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) <u>योग्यता</u>

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ राज्य/केंद्र सरकार में उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखनेवाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(iii) **निर्धारित योग्यता के बिना भी आवेदकों पर विचार किया जाएगा, लेकिन बीटेक., एमएससी आदि जैसी उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(iv) किसी आवेदकों को पदों केलिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है । कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा । फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने केलिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है ।

ग) <u>अनुभव</u>

(i) **उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 31 अगस्त 2026 से की जाएगी।**

(ii) शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत संबंधित विषय में पूर्ण किए गए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव माना जाएगा। पारिश्रमिक सहित किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को भी अनुभव माना जाएगा।

(iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, **कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश /प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(iv) चयन के बाद सीएसएल में शामिल होने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकारी से किया जाएगा। यदि प्रमाण पत्र झूठा पाया जाता है, तो रोजगार अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

(v) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवा अवधि के दौरान प्राप्त ऐसी योग्यता को भी योग्यता पश्चात् अनुभव की गणना में शामिल माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और कर्तव्यों, संबंधित कार्यों में संभाली गई जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान प्रमाण के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(vii) **पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है। ऐसे आवेदकों को ईएसआई/ईपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(viii) ***जो इस रिक्ति अधिसूचना की तिथि अनुसार सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के अंतिम वर्ष में है, वे भी अन्य सभी अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन आवेदन करने केलिए पात्र हैं। जो सीएसएल या सीएसएल के यूनिटों में अनुबंध के पहले वर्ष या दूसरे वर्ष में है, वे समान पद केलिए आवेदन करने के पात्र नहीं है।***

घ) आवेदन शुल्क:

(i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 07 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।**

(iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) आवेदन कैसे करें

(i) **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ->सीएएनएसआरयू, अंडमान) पर जाकर** ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले **लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू** को पढना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं **–एक बार पंजीकरण और लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ में पंजीकरण प्रक्रिया कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।** अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ-> सीएएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से दिनांक 07 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक** प्राप्त की जा सकती है। **सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(iv) **विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में** आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **सभी आवश्यक सबूत, जैसे प्रमाणपत्र और आईडी प्रमाण, निर्दिष्ट क्षेत्र में संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल/ सीएएनएसआरयू के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।

(vi) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क सीएसएल / सीएएनएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

(vii) वेबसाइट **दिनांक 07 अगस्त 2026** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 अगस्त 2026 है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

च) **सामान्य**

(i) ***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।***

(ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।

क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

घ) कार्मिक, जो अप्रैल14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो।

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career.cansru@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएएनएसआरयू निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों को कार्यभार ग्रहण करने के समय या सीएसएल की ओर से सीएएनएसआरयू द्वारा तय किए गए किसी अन्य चरण पर किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **चयन में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**

(vii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएएनएसआरयू, अंडमान) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू, अंडमान) को बार- बार देखें।

(viii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएएनएसआरयू में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

(ix) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि केलिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएएनएसआरयू चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या समाप्ति के बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

(x) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएएनएसआरयू द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

(xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल की ओर से सीएएनएसआरयू के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

(xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvi) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xvii) चयनित उम्मीदवारों को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल/ एचसीएसएल / यूसीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

(xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xx) विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमें career.cansru@cochinshipyard.in पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)